



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.-1, फेज -द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email-id :- robhiwadi@gmail.com, Ph. 01493-221435.

राप्रनिम/क्षे.का./भिवाडी/जन-268/2492


दिनांक : 8/3/17

निविदा सूचना संख्या 01-05/2017-18

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, भिवाडी, में सुरक्षाकर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन, क्षेत्र सहायक (Field Assistant), चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक के लिए अनुबन्ध के आधार पर कार्य करवाने हेतु अनुभवी फर्मो/पंजीकृत संस्थाओं से मुहरबन्द निविदायें निम्नानुसार आमन्त्रित की जाती है:-

निविदा संख्या	कार्य का नाम	निविदा शुल्क	अमानत राशि
1	सुरक्षा कर्मी (तीन)	रु. 300/-	रु. 7200/-
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (दो)	रु. 300/-	रु. 4080/-
3	क्षेत्र सहायक (Field Assisant) (तीन)	रु. 300/-	रु. 7200/-
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (दो)	रु. 200/-	रु. 2880/-
5	वाहन चालक (एक)	रु. 200/-	रु. 1440/-

उपरोक्त सभी कार्यों की निविदायें दिनांक 14.03.2017 से 23.03.2017 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 9.30 से सायः 6 बजे तक इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक 24.03.2017 को दोपहर 01 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 24.03.2017 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तें विभागीय वेबसाईट <http://www.rpcb.rajasthan.gov.in/> पर देखी जा सकती है। निविदा फार्म विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। डाउनलोड फार्म उपयोग में लेने पर निविदा शुल्क की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निविदा के साथ संलग्न करना होगा। प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी। निविदा शुल्क एवं अमानत राशि के लिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक ही स्वीकार किये जायेंगे, जो कि क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय भिवाडी (Payable at Bhiwadi) के नाम से प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक को राजकीय अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को निविदा प्राप्त एवं खोली जायेगी।


(के.सी.गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.-1, फेज - द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी
Phone: 01493-221435 Website www.rpcb.nic.in

राप्रनिम/क्षे.का./भिवाडी/

दिनांक

निविदा सूचना संख्या 01/2017-2018

निविदा प्रपत्र

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, भिवाडी में सुरक्षाकर्मी हेतु निविदा प्रपत्र

फर्मो/निविदादाता का नाम	
स्थायी पता	
वर्तमान पता	
निविदा शुल्क	राशि.....डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या..... दिनांक.....बैंक का नाम.....
अमानत राशि जमा का विवरण	राशि.....डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या..... दिनांक.....बैंक का नाम.....
सुरक्षाकर्मीयों की दरेंरूपये प्रति माह/प्रति सुरक्षाकर्मी अक्षरो में रूपये.....
सर्विस टैक्स, पंजीयन लाईसेन्स, आयकर षोधन एवं अनुभव प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है	

निविदा के नियम एवं शर्तों का अध्ययन हमारे द्वारा कर लिया गया है तथा हमे क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.म., भिवाडी की समस्त शर्तें स्वीकार हैं हमारे द्वारा दिया गया उपरोक्त कथन सही एवं सत्य है कोई कथन असत्य अथवा अप्रासंगिक पाये जाने पर हमारा प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, भिवाडी मे सुरक्षाकर्मी हेतु नियम एवं शर्तः-

1. निविदादाताओं को निविदा सूचना मे दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफे पर " राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, भिवाडी मे सुरक्षाकर्मी हेतु निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, जी.ओ.1, फेज-द्वितीय, भिवाडी को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।
2. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
4. दरें शब्दों एवं अकों मे अलग अलग लिखी जावेगी। इसमे कोई त्रुटिया/उपरिलेखन नहीं होना चाहिये यदि कोई शुद्धिया कही हो तो स्पष्ट रूप से लिखनी होगी एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर करने होंगे।
5. निविदा फर्म के साथ अमानत राशि रु0 7200/- की प्रस्तुत करनी होगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा यह राशि क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल देय भिवाडी के पक्ष में शिड्यूल बैंक ड्रापट/बैंकर्स चैक के रूप मे जमा करानी होगी।
6. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्वयं के खर्चे पर रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
7. अमानत राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money): असफल निविदादाताओं को अमानत राशि निविदा के अंतिम रूप में स्वीकार करने के बाद लौटाई जायेगी।
8. अमानत राशि का समपरहणः अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों मे समपहत कर लिया जायेगा।
 - जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।

- जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
 - जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।
 - जब वह विहित समय के भीतर आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।
9. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस अनुबन्ध की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपण (Counter Foil) निःशुल्क प्रस्तुत करनी होगी।
 10. विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।
 11. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
 12. सुरक्षाकर्मी को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी।
 13. किसी भी सुरक्षाकर्मी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सुरक्षाकर्मी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा जुर्माना देय होगा।
 14. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी। जिसमें सुरक्षाकर्मी को प्रोविडेन्ट फण्ड एवं राज्य बीमा कानून आदि लागू होंगे।
 15. सुरक्षाकर्मी को निर्धारित वर्दी में रहना एवं बेंच लगाना अनिवार्य होगा। सुरक्षाकर्मी को वर्दी, टार्च, सीटी एवं डंडा (4 फिट) का निविदादाता स्वयं से उपलब्ध करायेगा अन्यथा प्रतिदिन ₹0 50/- प्रति कर्मचारी पेनल्टी देनी होगी।
 16. सुरक्षाकर्मी का बीमा निविदादाता द्वारा एक वर्ष का कराना अनिवार्य होगा एवं अवधि समाप्त होने पर तुरन्त नवीनीकरण का उत्तरदायित्व निविदादाता को होगा। यदि किसी न्यायालय, अधिकरण मण्डल द्वारा पारित अवार्ड की पालना में यदि किसी राशि के भुगतान का दायित्व मण्डल पर आता है, तो अदायगी की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
 17. निविदादाता के सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
 18. सुरक्षाकर्मी के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना-दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
 19. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश खेलना, अथवा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नहीं करेगा।

20. सुरक्षाकर्मी का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना पड़ेगा।
21. कोई भी सुरक्षाकर्मी दूसरी शिफ्ट के स्टॉफ को चार्ज सम्भालने के बाद ही ड्यूटी से ऑफ होगा।
22. यदि किसी कारणवश कोई सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर नहीं आ सकें तो उसके एवज् में दूसरा सुरक्षाकर्मी निविदादाता को उपलब्ध कराना होगा।
23. उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी की कार्य कुशलता, सजगता, व्यवहार एवं अच्छे आचरण बाबत किन्ही दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा प्राप्त कर क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, भिवाडी को प्रस्तुत करना होगा एवं समस्त कर्मियों को कार्यालय अनुशासन का पूर्ण पालन करना होगा।
24. निविदादाता को श्रम नियमों के अनुसार प्रत्येक माह भुगतान करना होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
25. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी स्टॉफ कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने को बाध्य होगा।
26. सुरक्षा कर्मी जहा भी नियुक्त हो वहां पर रखे रजिस्टर में आने जाने एवं कोई विशेष घटना का विवरण समय डाल कर अंकित करना होगा।
27. बिल का भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा जिसके साथ सम्बन्धित विभाग में लगाये गये गार्ड व उपस्थिति व बिल विभाग के अधिकारी/प्रभारी से प्रमाणित करा कर निविदादाता को देनी होगी।
28. यदि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई कर लगाया जाता है तो उसकी अदाय निविदादाता को ही करनी होगी।
29. सफल निविदादाता को उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी को न्यूनतम भुगतान की रसीद की छाया प्रति हर माह मण्डल में प्रस्तुत करनी होगी।
30. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., भिवाडी का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
31. सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र, अलवर न्यायालय ही रहेगा।
32. सर्विस टेक्स नियमानुसार जमा कराने का दायित्व निविदादाता का होगा।
33. नियमानुसार आयकर की कटौति निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।

34. दर निरन्तर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था प्रतिमाह की दी जावे जिसमे रविवार व अन्य अवकाश के दिन भी सम्मिलित होंगे।
35. सुरक्षाकर्मी के अनुपस्थित पाये जाने पर देय भुगतान मय क्षतिपूर्ति निविदादाता के मासिक बिल से काट लिया जावेगा। क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जावेगा।
36. किसी भी प्रकार की क्षति के लिये क्षति पूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।
37. निविदादाता द्वारा इस कार्यालय को नियमित रूप से मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा।। सुरक्षाकर्मियों को भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा।
38. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
39. निविदादाता को सुरक्षा गार्ड सेवाओं संबंधी राज्य सरकार का अनुज्ञा पत्र/लाईसेन्स एवं सेवाकर/आयकर नम्बर मय प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने होंगे।
40. निविदा अवधि घटाने व बढ़ाने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
41. सुरक्षाकर्मी घटाने बढ़ाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
42. राज्य सरकार द्वारा सुरक्षाकर्मी के सम्बन्ध में समय समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होंगे।
43. निविदादाता फर्म की गत दो वर्ष की आयकर चुकती प्रमाण पत्र/रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
44. निविदादाता फर्म के सम्बन्ध में सम्पूर्ण बायोडाटा मय अनुभव संलग्न करें।
45. निविदादाता फर्म 2016-2017 में सर्विस टैक्स जमा के चालान की फोटो प्रति संलग्न करे।
46. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्तें मान्य होगी।
47. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
 नाम मैसर्स.....

 पता:.....



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.-1, फेज - द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी
Phone: 01493-221435 Website www.rpcb.nic.in

राप्रनिम/क्षे.का./भिवाडी/

दिनांक

निविदा प्रपत्र

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की सेवाये किराये पर एजेन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु निविदा सूचना सख्या 02/2017-2018

1. निविदादाता/फर्म का नाम व पता:
(मय दूरभाष/माबाईल नम्बर तथा ई-मेल).....
पते (यदि हो) सहित
2. निविदादाता/फर्म का श्रम विभाग
में पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक
3. निविदादाता/फर्म का सेवाकर पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
4. टेण्डर प्रपत्र देने का पता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी
5. संदर्भ:- निविदा सूचना स0.....दिनांक
जमा कराने की तिथि अपरान्ह बजे तक
खोलने की तिथि अपरान्ह बजे तक
6. निविदा शुल्क का विवरण- राशि रूपये 300/-
नकद रसीद संख्या.....दिनांक.....
डी.डी. न0.....दिनांक
बैंकर्स चैक.....दिनांक
7. अमानत राशि के बैंकर्स ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक बैंक का नाम.....
जो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य राशि रू0 4080/- (शब्दों में रूपये चार हजार अस्सी मात्र)
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक स0.....दिनांक.....
के पक्ष में देय हो का विवरण बैंक का नाम.....
8. निविदा के लिये मासिक प्रस्तावित दर
प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन):- (अंको में).....
(शब्दों में).....

नोट:- (i) कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के किराये की राशि रूपये 8500/- प्रतिमाह (सभी कर सहित) से अधिक स्वीकार्य नहीं होगी । As Per Finance Deptt. Circular F9(1) FD-1(1) Bud 2012 Dt 01.07.15

(ii) निविदा की प्रस्तावित दर अंको व शब्दों में समान होनी चाहिये । अंको व शब्दों में अन्तर होने पर निविदा मान्य नहीं होगी । दर में किसी भी प्रकार की कोई कांट छांट/ओवर राईटिंग नही होनी चाहिये, यदि काट छांट हो गई हो तो उसे निविदादाता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावे ।

9. निविदादाता का विवरण एवं

अनुभव प्रमाण पत्र

-निविदा आवेदनकर्ता अपनी फर्म/एजेन्सी का पूर्ण विवरण, कन्सटीट्यूशन एवं अनुभव का पूर्ण विवरण मय तत्संबंधी प्रमाण पत्रों के संलग्न करें ।

10. मैने/हमने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है हमने सभी मान्य होने बाबत शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

हस्ताक्षर निविदादाता



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.-1, फेज - द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी
Phone: 01493-221435 Website www.rpcb.nic.in

राप्रनिम/क्षे.का./भिवाडी

दिनांक

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की सेवाये किराये पर लेने के लिये मांगी जाने वाली निविदा के लिये शर्त:-

निविदादाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ लेना चाहिये एवं निविदा भेजते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिये। निविदादाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले उसका क्षेत्रीय कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावे। किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी ही अंतिम व मान्य होगा।

1. निविदा प्रपत्र क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के कार्यालय से निर्धारित शुल्क नकद जमा करवाकर प्राप्त की जा सकेगी। निविदा प्रपत्र पर प्रस्तुत दरों की स्वीकार की जावेगी। यह निविदा प्रपत्र किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।
2. निविदा ठीक प्रकार से सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर "संविदा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी को संबोधित करते हुये रजिस्टर्ड [डाक/साधारण](#) डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक क्षेत्रीय कार्यालय में पहुच जावे।
3. निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अमानत राशि रूपये 4080/- के रूप में डी.डी./बैंकर्स चैक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, बिना अमानत राशि के प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। डी.डी./बैंकर्स चैक, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के नाम से देय होगा। राजकीय उपक्रम, निगम, स्वायत्तशासी निकाय जो सरकार, सरकारी उपक्रमों, संघ सरकार या राजस्थान सरकार की कम्पनीयों द्वारा नियंत्रित/प्रबन्धित संस्थाओं को अमानत राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
5. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्वयं के खर्चे पर रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
6. निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य निविदादाता की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

7. यह निविदा केवल वही व्यक्ति/फर्म/संस्थाएँ प्रस्तुत कर सकती है जिनका पंजीयन श्रम विभाग एवं आयकर विभाग अर्थात् दोनों विभागों में हो। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन प्रमाण पत्रों के आवेदन करने वाली फर्म/व्यक्ति/संस्थाओं की निविदा को निरस्त समझा जावेगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. का पंजीयन भी नियमानुसार होना आश्यक है।
8. निविदादाता फर्म की गत दो वर्ष की आयकर चुकती प्रमाण पत्र/रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
9. निविदादाता फर्म के सम्बन्ध में सम्पूर्ण बायोडाटा मय अनुभव संलग्न करें।
10. निविदादाता फर्म 2016–2017 में सर्विस टैक्स जमा के चालान की फोटो प्रति संलग्न करे।
11. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) किराये पर कार्य अवधि का ठेका स्वीकृति दिनांक से प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिये होगा। कार्य संतोषप्रद होने पर ठेका आगे बढ़ाया जा सकेगा।
12. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संख्या व योग्यता विवरण:—
 - कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की संख्या:— 2 (दो)
 - कर्मी की योग्यता:—
 - (i) कम्प्यूटर ऑपरेटर को विन्डोज/लाइनेक्स एन्वायरमेन्ट कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान/अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है।
 - (ii) कर्मी स्वस्थ एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।
13. मशीनों का विवरण:—निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी में होना आवश्यक है—
 - i) Computer –Intel Core i3/Equivalent AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more. 15” Monitor/TFT or bigger 10/100/1000 Mbps Lan card, Cd/DVD writer standards Keyboard, Optical Mouse, Standard serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Pre installed MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.
 - ii) Printer:-Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Do Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
 - iii) UPS:- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.
14. निविदादाता एजेन्सी का सर्विस टैक्स हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है
15. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये सन्तोषप्रद नहीं पायी जाती है तो निविदादाता को तुरन्त इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।

16. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) पर कार्य करने वाले कर्मि हेतु प्रतिदिन 9.30 बजे से सायः 6 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा । कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा ।
17. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मियों को सविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एवं पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रो की प्रतियां कार्यदेश जारी होने की तिथि के पांच दिनों के अन्दर अन्दर कार्यालय मे प्रस्तुत करने होंगे। अनुबन्ध की अवधि मे यदि किसी कर्मि को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मि का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होंगे।
18. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्ते वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1:9(1)FD-1(1)Bud2004 Dated: 28.07.2008 के अनुरूप होगी (प्रति संलग्न)
19. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षेत्र, अलवर होगा ।
20. किसी भी माह में चार दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नही रखा जावेगा । इससे अधिक कम्प्यूटर बंद रहने पर 200/- प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी ।
21. यदि निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मियों द्वारा किसी प्रकार के कानूनी पहलू अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो निविदादाता संस्था/एजेन्सी ही उसके लिये उत्तरदायी होगी । प्रदुषण नियन्त्रण मण्डल उपरोक्त दायित्वों के लिये किसी भी प्रकार उत्तरदायी होगा ।
22. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्ते मान्य होगी ।
23. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा ।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स.....

.....

पता:.....

.....



राप्रनिम/क्षे.का./भिवाडी

दिनांक

निविदा सूचना सं0 03/2017-18

प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant) हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन

निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम/फर्म का नाम
2. डाक का पूरा पता:
3. संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम.....व पदनाम.....एवं प्रमाणित हस्ताक्षर.....
4. निविदादाता का दूरभाष संख्या/लेण्डलाईन न0.....मोबाईल न0.....
5. निविदा संख्या.....दिनांक.....
6. निविदा शुल्क.....रूपये रसीद संख्या/डी.डी./बैंकर चैक क्रमांक..... दिनांक
7. अमानत राशि रूपयेडी.डी./बैंकर चैक संख्या..... दिनांकबैंक का नाम.....
8. ठेका राशि एक वर्ष के लिये-राशि (अंको में)..... रूपये प्रति स्टेशन राशि (शब्दों में).....
9. मै./हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना क्रमांक दिनांकमे वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते है एवं जिनके स्वीकार किये जाने के प्रमाण में निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।
10. उपर उद्धृत की गई दरें निविदा खोले जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य है । इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा। ठेका कार्यादेश जारी करने पर कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा ।
11. निविदादाता को आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (PAN) निविदादाता का सेवाकर रजिस्ट्रेशन निविदादाता को श्रम विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन की प्रतिया संलग्न की जानी आवश्यक होगी। ठेकेदार फर्म के पते के प्रमाण में राशनकार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति/फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न करें।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
नाम मैसर्स.....

पता:.....

.....



राप्रनिम/क्षे.का./भिवाडी/

दिनांक

निविदा सूचना सं0 03/2017-18

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजना (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य का विस्तृत विवरण:-

भिवाडी में प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) वर्तमान में निम्न स्थानों पर स्थित है:-

क्र.स.	प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) का नाम	क्षेत्रीय प्रयोगशाला का नाम व पता जहाँ नमूने जमा कराने हैं
1	क्षेत्रीय कार्यालय, परिसर, भिवाडी	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, राप्रनिम, जी.ओ. 1, फेज-द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी
2	यु.आई.टी. गेस्ट हाउस, भिवाडी	
3	उत्तम स्टीप्स प्रा0लि0, भिवाडी	

निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफे पर "प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant) हेतु निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, जी.ओ.-1, फेज-द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।

1. परिवेशीय वायु गुणवत्ता केन्द्र पर तकनीकी सहायक/कर्मियों से केन्द्र पर लिये जाने कार्य अपेक्षित कार्य:-

(अ) कार्य का विवरण: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, के राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) भिवाडी स्थित तीन (03) स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का चालन, (Operation of Respirable Dust Sampler एवं PM_{2.5} Sampler) सुरक्षा (Safety and Security) वायु नमूनों का संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं सम्बन्धित आकड़ो (National Air Quality Monitoring, Data Sheet) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भिवाडी को शीघ्रताशीघ्र निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करना। परियोजना अन्तर्गत स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है स्थानों व मशीनों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है।

(ब) निर्धारित स्टेशनों पर मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई मशीन का सुचारु रूप से प्रचालन (Operation of Equipments)

(स) प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) एक सप्ताह में दो दिवस के अन्तराल पर 24 घण्टे चलाया जायेगा।

- (द) वांछित कार्य सम्पादन के लिये 8 घण्टे प्रति पारी (6:00 ए.एम. से 2:00 पी.एम., 2:00 पी.एम. से 10:00 पी.एम. एवं 10:00 पी.एम. से 6:00 ए.एम.) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मि नियुक्त किया जायेगा।
2. आपात स्थिति एवं दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किसी एक अथवा सभी प्रबोधन केन्द्रों पर दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी इस कार्य का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।
 3. तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मि की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
 4. मुख्य/अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय-समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार/संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

परिवेशीय वायु प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य की शर्तें

1. निविदादाता को भिवाडी (अलवर) के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Station) पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
2. ठेकेदार को अमानत राशि के रूप में रुपये 7200/- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, भिवाडी के नाम हो तथा ये भिवाडी में भुगतान योग्य हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा के साथ अमानत राशि (Earnest Money) प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. ठेकेदार को रू 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा कराना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। अमानत राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर अनुबन्ध के सन्तोषजनक निर्वाह की स्थिति में लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जायेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा यदि निविदा के किन्ही उपबन्धों एवं शर्तों में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा की अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध का समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि को जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, भिवाडी को होगा।
6. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
7. निविदा की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
8. प्रबोधन कार्य संचालन (Handing of Monitoring Work) सम्पादन हेतु मशीन उपस्कर/उपकरण रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of Equipment supply of Absorbing Solution Filter Paper) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत सर्विस (Servicing and repairing) आदि की जिम्मेदारी

मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मि की कर्तव्य निष्ठा सुचारु रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मि द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन के रुकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा । यदि ठेकेदार या उसके तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मि की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मकों, फिल्टर पेपर, आकडा प्रतिवेदन, आंकडा संग्रहण आदि को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा ।

9. ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एवं एबोलिषन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पर्जिकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
10. कार्यो के विवरण में दिये गये कार्यो को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा ।
11. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधानी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
12. ठेकेदार प्रतिमाह वैज्ञानिक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अन्य प्रयोगशाला अधिकारी से मासिक बिल प्रमाणित करायेगा । मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, भिवाडी का निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।
15. निविदादाता फर्म की गत दो वर्ष की आयकर चुकती प्रमाण पत्र/रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
16. निविदादाता फर्म के सम्बन्ध में सम्पूर्ण बायोडाटा मय अनुभव संलग्न करें।
17. निविदादाता फर्म 2016-2017 में सर्विस टैक्स जमा के चालान की फोटो प्रति संलग्न करे।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:

1. ठेकेदार/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा ।
2. इस निविदा के तहत कार्य निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था निर्धारित योग्यताधारी श्रमिकों को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा
3. मॉनिटरिंग स्टेशन के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है
4. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्र सहायको की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
5. ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
6. ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि स्टेशन पर स्थापित उपकरण विभिन्न रसायनों अभिकर्मकों आदि को काई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था के करनी होगी।

7. ठेकेदार/संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
8. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मियों के संबंध में विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा। राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
9. प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत प्रावधानी निधि (EPF) एवं बिना (ESI) और सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होंगे इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
10. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का अल्लघन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।
11. ठेकेदार/संस्था नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक सम्बन्धी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
12. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु ठेकेदार/संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा। इस सम्बन्ध में यदि क्षेत्रीय कार्यालय को कोई राशि व्यय करनी पड़ी तो वह ठेकेदार/संस्था के लम्बित भुगतान या अमानत राशि से वसूल की जायेगी।
13. यदि अनुबन्ध के सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों/कार्यालय में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आरोपित की जा सकेगी।
14. ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा अमानत राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
15. उक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की शर्तें व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगा।
16. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।
17. यह की मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
18. इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढ़ोतरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
19. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध को शर्तों की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, भिवाडी का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
20. ठेकेदार या उसके तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मियों द्वारा नमूने के एकत्रिकरण के कार्य में प्रतिदिन क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी कि निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आंकडा प्रतिवेदन (Collected sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा।

21. शास्ति (Penalty)

(1) ठेकेदार/ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आकडा प्रतिवेदन एवं नमनों को क्षेत्रीय प्रयोगशाला में समय पर जमा नहीं कराने पर उस दिन की भुगतान (Payment) की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।

(2) ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसो पर कार्य मे लापरवाही करने पर उन दिनों का भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुणा राशि शास्ति के रूप मे वसूली जायेगी।

(3) लगातार सात कार्य दिवसो पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

22. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार अलवर होगा।

23. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्तें मान्य होगी।

24. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांक:-

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम: मैसर्स.....

पता:



राप्रनिम/क्ष.का./भिवाडी/

दिनांक

निविदा सूचना सं0 04/2017-18

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन

निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम/फर्म का नाम
2. डाक का पूरा पता:
3. संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम..... व पदनाम.....
4. निविदादाता का दूरभाष संख्या/लेण्डलाईन न0.....मोबाईल न0.....
5. निविदा संख्या.....दिनांक.....
6. निविदा शुल्क.....रूपये रसीद संख्या/डी.डी./बैंकर चैक क्रमांक.....
दिनांक
7. अमानत राशि रूपये डी.डी./बैंकर चैक संख्या.....
दिनांक बैंक का नाम.....
8. ठेका राशि एक वर्ष के लिये-राशि (अंको मे).....
राशि (शब्दो मे).....रूपये
9. मै./हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना क्रमांक
दिनांकमे वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट मे दी गई उक्त निविदा सूचना की शर्तों से बाध्य
होना स्वीकार करता हूँ/करते है एवं जिनके स्वीकार किये जाने के प्रमाण में निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर
कर दिये है।
10. उपर उद्धृत की गई दरें निविदा खोले जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमाम्य है । इस अवधि को
पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा। ठेका कार्यादेश जारी करने पर कार्यादेश की तिथि से दिनांक
31.03.2018 तक मान्य होगा ।
11. दरे श्रम विभाग राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 5 (6) न्यू.वे./श्रम/2002/पार्ट दिनांक 03.12.2012 एवं इसके
बाद श्रम विभाग राज. सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों के अनुसार होनी चाहिए।
12. निविदादाता को आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (PAN) निविदादाता का सेवाकर रजिस्ट्रेशन
निविदादाता को श्रम विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन की प्रतिया संलग्न की जानी आवश्यक होगी। ठेकेदार फर्म के पते के
प्रमाण मे राशनकार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति/फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा के साथ
संलग्न करें।
13. निविदादाताओं को निविदा सूचना मे दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना होगा।
लिफाफे पर "चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, जी.ओ.
1, फेज-द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिषः
इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स.....

पता:.....

कार्य की शर्तें

1. निविदादाता को क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.मं भिवाडी पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
2. निविदादाता को अमानत राशि के रूप में रुपये 2880/- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, भिवाडी के नाम हो तथा ये भिवाडी में भुगतान योग्य हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा के साथ अमानत राशि (Earnest Money) प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदादाता को रु 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा कराना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। अमानत राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर अनुबंध के सन्तोषजनक निर्वाह की स्थिति में लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जायेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा यदि निविदा के किन्हीं उपबन्धों एवं शर्तों में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा की अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध का समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि को जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, भिवाडी को होगा।
6. राज्य मण्डल इस निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है राज्य मण्डल के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
7. निविदा की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
8. निविदादाता को कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
9. कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
10. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधानी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
11. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये निविदा निरस्त कर जमा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. निविदा की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, भिवाडी का निर्णय अन्तिम होगा जो निविदादाता को मान्य होगा।
13. निविदादाता फर्म की गत दो वर्ष की आयकर चुकती प्रमाण पत्र/रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
14. निविदादाता फर्म के सम्बन्ध में सम्पूर्ण बायोडाटा मय अनुभव संलग्न करें।
15. निविदादाता फर्म 2016-2017 में सर्विस टैक्स जमा के चालान की फोटो प्रति संलग्न करें।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:

1. निविदादाता/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्ति की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा।
2. निविदादाता /संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं चाहिए।
3. निविदादाता /संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी

4. निविदादाता /संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
5. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का अल्लघन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।
6. निविदादाता /संस्था नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक सम्बन्धी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। निविदादाता /संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु निविदादाता /संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
7. यदि अनुबंध के सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों/कार्यालय में शारित (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आरोपित की जा सकेगी।
8. निविदादाता द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा अमानत राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
9. उक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों की शर्तें व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगा।
10. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।
11. यह की मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
12. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध को शर्तों की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, भिवाडी का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
13. शास्ति (Penalty)
 - (1) निविदादाता द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उन दिनों का भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुणा राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।
 - (2) लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि निविदादाता से वसूल की जावेगी।
14. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार अलवर होगा।
15. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्तें मान्य होंगी।
16. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांक:-

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम: मैसर्स.....

पता:



राप्रनिम/क्षे.का./भिवाडी/

दिनांक

निविदा सूचना सं0 05/2017-18

वाहन चालक हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन

निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम/फर्म का नाम
2. डाक का पूरा पता:
3. संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम.....व पदनाम.....
4. निविदादाता का दूरभाष संख्या/लेण्डलाईन न0.....मोबाईल न0.....
5. निविदा संख्या.....दिनांक.....
6. निविदा शुल्क.....रूपये रसीद संख्या/डी.डी./बैंकर चैक क्रमांक.....
दिनांक
7. अमानत राशि रूपयेडी.डी./बैंकर चैक संख्या.....
दिनांकबैंक का नाम.....
8. ठेका राशि एक वर्ष के लिये-राशि (अंको मे).....
राशि (शब्दो मे).....रूपये
9. मैं/हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना क्रमांक
दिनांकमे वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट मे दी गई उक्त निविदा सूचना की शर्तों से बाध्य होना
स्वीकार करता हूँ/करते है एवं जिनके स्वीकार किये जाने के प्रमाण में निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर
दिये है।
10. उपर उद्धृत की गई दरें निविदा खोले जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य है । इस अवधि को
पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा। ठेका कार्यादेश जारी करने पर कार्यादेश की तिथि से दिनांक
31.03.2018 तक मान्य होगा ।
11. दरे श्रम विभाग राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 5 (6) न्यू.वे./श्रम/2002/पार्ट दिनांक 03.12.2012 एवं इसके
बाद श्रम विभाग राज. सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों के अनुसार होनी चाहिए।
12. निविदादाता को आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (PAN) निविदादाता का सेवाकर रजिस्ट्रेशन
निविदादाता को श्रम विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन की प्रतिया संलग्न की जानी आवश्यक होगी। ठेकेदार फर्म के पते के
प्रमाण मे राशनकार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति/फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा के साथ
संलग्न करें।
13. निविदादाताओं को निविदा सूचना मे दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना होगा।
लिफाफे पर "वाहन चालक हेतु निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, जी.ओ. 1,
फेज-द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः
इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स.....

पता:.....

.....

कार्य की शर्तें

1. निविदादाता को क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.मं भिवाडी पर वाहन चालक का कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
2. निविदादाता को अमानत राशि के रूप में रुपये 1440/- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, भिवाडी के नाम हो तथा ये भिवाडी में भुगतान योग्य हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा के साथ अमानत राशि (Earnest Money) प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदादाता को रु 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा कराना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। अमानत राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर अनुबंध के सन्तोषजनक निर्वाह की स्थिति में लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जायेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा यदि निविदा के किन्हीं उपबन्धों एवं शर्तों में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा की अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबंध का समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबंधता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि को जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, भिवाडी को होगा।
6. राज्य मण्डल इस निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है राज्य मण्डल के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
7. निविदा की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
8. निविदादाता को कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पर्जीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
9. कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
10. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधानी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
11. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये निविदा निरस्त कर जमा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. ड्यूटी पर कर्मचारी किसी भी प्रकार का ब्यसन लेना, नशा करना, ताश खेलना, अथवा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
13. निविदा की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, भिवाडी का निर्णय अन्तिम होगा जो निविदादाता को मान्य होगा।
14. ड्राइवर परिवहन विभाग द्वारा जारी उपयुक्त लाईसेंस शुदा होना चाहिये एवं वर्दी में रहना चाहिये। वर्दी निविदादाता द्वारा ही दी जावेगी। विभाग द्वारा इस हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
15. वाहन चालक द्वारा वाहन की लॉगशीट प्रतिदिन संधारित कर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाई जावेगी।
16. आवश्यकता पड़ने पर वाहन चालक को राजपत्रित अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है। यदि वाहन चालक उपलब्ध नहीं होता तो निविदादाता को दूसरा वाहन चालक उपलब्ध करवाना होगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
17. वाहन के सभी प्रपत्र (बीमा/रजिस्ट्रेशन/प्रदूषण/वाहन चालक का लाईसेंस या अन्य जो वैधानिक रूप से आवश्यक है) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिये।

18. मण्डल के वाहन में किसी भी प्रकार की टूट-फूट होने या दुर्घटना होने पर सम्बन्धित व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
19. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या चालान होने पर निविदादाता का ही उत्तरदायित्व होगा एवं मण्डल उसका किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगा।
20. मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए वाहन चालक को हटा सकता है।
21. वाहन चालक द्वारा मण्डल के वाहन का पूर्ण रखरखाव, साफ-सफाई आदि का कार्य प्रतिदिन किया जायेगा।
22. सभी विवादों में अन्तिम एवं सर्वमान्य निर्णय संबंधित मण्डल का होगा।
23. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
24. निविदादाता फर्म की गत दो वर्ष की आयकर चुकती प्रमाण पत्र/रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
25. निविदादाता फर्म के सम्बन्ध में सम्पूर्ण बायोडाटा मय अनुभव संलग्न करें।
26. निविदादाता फर्म 2016-2017 में सर्विस टैक्स जमा के चालान की फोटो प्रति संलग्न करे।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:

1. निविदादाता/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्ति की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा।
2. निविदादाता /संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
3. निविदादाता /संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
4. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का अल्लंघन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।
5. निविदादाता /संस्था नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक सम्बन्धी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। निविदादाता /संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु निविदादाता /संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
6. यदि अनुबन्ध के सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों/कार्यालय में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आरोपित की जा सकेगी।
7. निविदादाता द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा अमानत राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
8. उक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों की शर्तें व नियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगा।
9. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।
10. यह की मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
11. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध को शर्तों की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, भिवाडी का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
12. शास्ति (Penalty)
 - (1) निविदादाता द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उन दिनों का भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुणा राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।
 - (2) लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि निविदादाता से वसूल की जावेगी।

13. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार अलवर होगा।
14. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्तें मान्य होंगी।
15. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांक:-

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम: मैसर्स.....

पता: